प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया है:17.09.2025

निर्णय पारित किया गया:09.10.2025

दाण्डिक अपील सं 542/2022

कौशलेंद्र राठौर पिता रामरतन राठौर, 38 वर्ष निवासी गाँव कृष्ण विहार, घर नं। बी–1234, एनटीपीसी कॉलोनी, दारी, पुलिस थाना दारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना दारी, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

---उत्तरवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----------{

वाद कारण सूचना प्रणाली से वाद कारण लिया गया है}

अपीलार्थी हेतु :श्री विवेक मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्रीमती मुक्ता त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी ,न्यायाधीश)

सीएवी निर्णय

1. यह आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, सीआर.पी.सी.) की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (पीओसीएसओ), कटघोरा जिला,कोरबा (सीजी) द्वारा विशेष मामला (आपराधिक) संख्या 61/2020 में दिनांक 10.3.2022 को पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत माननीय विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए उसे निम्नलिखित तरीके से दंडपारित किया गया :---

सरल क्र	धारा के तहत दोषसिद्धि	जेल का दंड	जुर्माना का दंड	पूर्वनिर्धारित शर्त
1)	पॉक्सो अधिनियम की धारा 12	02 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 600/–	02 महीनों का कठोर कारावास
2)	अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1) (डब्ल्यू)	1 वर्ष का कठोर कारावास	रु.300 /–	01 माह का कठोर कारावास
3)	अत्याचार अधिनियम कि धारा 3(2)(वीए)	1 वर्ष का कठोर कारावास	रु.300/–	1 माह का कठोर कारावास
सभी दंड को साथ–साथ चलाने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है, परंतु पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के तहत उसे इसके लिए अलग से दंड पारित नहीं कि गई है, क्योंकि उसे परंतु पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत इसी तरह के अपराध के लिए पहले ही दंड पारित किया जा चुका है।				

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि 12.01.2019 को लगभग 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, ने पुलिस स्टेशन दर्री, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) में अपीलकर्ता/आरोपी (जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं है) के विरुद्ध एफआईआर (एक्स पी/ –1) दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि वह सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, एनटीपीसी, दर्री की कक्षा 11 वीं की छात्रा है।02.01.2019 को स्कूल की छुट्टी के समय, प्रार्थना से ठीक पहले, लगभग 4.45 बजे, अपीलकर्ता, जो उक्त विद्यालय का शिक्षक है, ने उसे अकेला देखकर उसके पास आकर कहा, "मैं तुमसे प्यार करता हूँ" और "मैं तुम्हें देखने के लिए ही स्कूल आता हूँ" और उसका मोबाइल नंबर मांगा। गलत इरादे से उसने उसे अश्लील बातें भी कहीं। उसने तुरंत स्कूल में तारकेश्वरी मैडम को घटना की जानकारी दी और घर जाकर अपनी माँ को भी घटना के बारे में बताया।उपरोक्त तथ्य के आधार पर, पुलिस ने अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में ' 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 12 के तहत अपराध के लिए एफआईआर (एक्स.पी–1) दर्ज की।

2.1 अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से पीड़िता/अभियोक्ता का बयान धारा 164 सीआरपीसी (एक्स पी/ –4) के तहत दर्ज कराया, घटना स्थल का नक्शा (एक्स पी/ /2) तैयार कराया और संबंधित पटवारी से भी घटना स्थल का नक्शा तैयार कराया गया।

पीड़िता और अन्य साक्षीयों के बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए। पीड़िता का बयान बाल कल्याण समिति, कोरबा, जिला कोरबा (सीजी.) द्वारा 14.01.2019 को भी दर्ज किया गया था। पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र (एक्स पी/ –8 सी) जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –6) के तहत जब्त किया गया था। उसकी कक्षा 10 की मार्कशीट (एक्स पी/ –9 सी) जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –7) के तहत उसके पिता से जब्त की गई थी।पीड़िता का दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स पी/ –11 सी) प्राथमिक विद्यालय, नंबर 2, दर्री से जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –10) के तहत जब्त किया गया था।अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन (एक्स पी–13) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था।अन्वेषण पूरी होने के बाद, आईपीसी की धारा 354–ए, पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 12 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'एससी/एसटी अधिनियम') की धारा 3(2)(वी–ए) के तहत अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

3. विद्वान विशेष न्यायालय (जिसे आगे 'विचारण न्यायालय' कहा गया है) ने आईपीसी की धारा 354 (ए), पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 12 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) (बी) और 3(2) (वी–ए) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप निर्धारित गया, जिसने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया और विचारण की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ता/आरोपी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षीयों से परीक्षा की और 13 दस्तावेज पेश किए।अपीलकर्ता/आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके खिलाफ सामने आने वाली सभी परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोषता का दावा किया और झूठे फँसाए जाने की बात कही।उन्होंने अपने बचाव में दो बचाव साक्षीयों जे. पी. साहू, व्याख्याता (डी. डब्ल्यू.–1) तथा अजय प्रताप सिंह, व्याख्याता (डी. डब्ल्यू.–2) से परीक्षा कि है।

5. विशेष न्यायालय ने अभिलेख में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, दिनांक 10.03.2022 के अपने निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 354 (ए), पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 12, और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू) और 3(2)(वी) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे निर्णय के आरंभिक अनुच्छेद में उल्लिखित दंड पारित किया गया .

6. इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने इस पर प्रश्न उठाते हुए यह आपराधिक अपील दायर की है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह व्यक्त करते है की कि यद्यपि दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स पी/ /11 सी) के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 07.02.2002 है, जो उसकी कक्षा 10 की मार्कशीट (एक्स पी/ –9 सी) में भी दर्ज है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि किस दस्तावेज़ के आधार पर दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स पी/ –11 सी) में उक्त जन्मतिथि दर्ज की गई थी और किसने इसे दर्ज करवाया था।पीड़िता ने स्वयं प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह एक बार ग्यारहवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी, इसलिए वह फिर से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही है, और उसका मित्र शेख सलामुद्दीन भी ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा

है। इस प्रकार, चूंकि पीड़िता ग्यारहवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी और कक्षा '1' में प्रवेश के समय उसकी आयु 6 वर्ष रही होगी, इसलिए घटना की तिथि पर उसकी आयु लगभग 18 वर्ष है। अतः, विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष कि पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग थी, संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर, सीआरपीसी की धारा 164 और 161 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान, कोरबा की बाल कल्याण समिति के समक्ष दिए गए बयान और विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज बयान में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं।घटनास्थल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक समय उसने कहा कि घटना प्रार्थना कक्ष में हुई थी, जबकि दूसरे समय उसने कहा कि यह स्कूल के मैदान में हुई थी, जहां प्रार्थना होती है।आगे यह तर्क दिया गया है कि शाम लगभग 4.45 बजे, जब कथित घटना घटी, स्कूल की छुट्टी का समय था, इसलिए सभी छात्र और शिक्षक स्कूल के प्रार्थना कक्ष में उपस्थित थे। अतः पीड़िता का घटना स्थल पर अकेले होना असंभव था। उसने घटना के बारे में शिक्षकों और अपने दोस्तों को कब और कहाँ बताया, यह भी विरोधाभासी है। पीड़िता के माता–पिता और उसके सहपाठी, जो पीड़िता के सहपाठी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं।

7.1 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि घटना के 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। स्कूल के किसी भी शिक्षक, यहाँ तक कि तारकेश्वरी मिश्रा, जिन्हें पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था, से भी अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।यह तर्क दिया गया है कि यौन उत्पीड़न के आरोप को साबित करने के लिए, आरोपी के यौन आशय को साबित करना आवश्यक है, जो इस मामले में साबित नहीं हुआ हैआगे उन्होंने निवेदन किया कि शिक्षक होने के नाते, जब अपीलकर्ता ने पीड़िता और उसकी सहेलियों को कक्षा से बाहर घूमते देखा, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि वे ग्यारहवीं कक्षा में फेल हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। केवल इसी कारण अपीलकर्ता को झूठे मामले में फंसाया गया है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है, इसके बावजूद कि विशेष न्यायालय ने बिना किसी ठोस और निर्णायक सबूत के अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि इस अपील को स्वीकार किया जाए और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निर्मल प्रेमकुमार एवं अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक 1; मोहम्मद सैमुल्ला बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य 2; नूराई एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 3; और बंदू विट्ठलराव बोरवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 4 के मामलों का उल्लेख किया गया ।

8. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि पीड़िता ने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है, जिसे पीड़िता के माता–पिता और सहपाठियों के बयानों से भी बल मिलता है, अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुना गया, उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की तिथि अर्थात् 02.01.2019 को पीड़िता नाबालिग थी।पीड़िता (पीडब्लू––1), उसके पिता (पीडब्लू–2) और माता (पीडब्लू–3) ने अपने बयान में पीड़िता की जन्मतिथि नहीं बताई है, लेकिन पीड़िता के पिता (पीडब्लू–2) ने बयान देते हुए कहा है कि 18.09.2019 को जब उन्होंने बयान दिया था, तब पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी और वह कक्षा बारहवीं में पढ़ रही थी। सितंबर 2019 में बयान दर्ज कराते समय पीड़िता और उसकी माता ने भी यही कहा था कि वह कक्षा बारहवीं में पढ़ रही थी।

11. पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए, पीड़िता से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स पी/ –11 सी) विद्युत गृह प्राथमिक विद्यालय, नंबर 2, दर्री, मानसरोवर स्कूल से जब्त किया गया था (जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –10) के अनुसार), जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 07.02.2002 दर्ज है।उपरोक्त ज़ब्ती को सेवानिवृत्त पुलिस उप–अधीक्षक डी.एस. दीवान (पीडब्लू–13) और उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक गणेश राम कश्यप (पीडब्लू–4) ने प्रमाणित किया है, जिनसे वह रजिस्टर ज़ब्त किया गया था। एक्स पी/–9 सी पीड़ित की कक्षा 10 वीं की मार्कशीट है, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर द्वारा वर्ष 2017 में जारी की गई थी।मूल मार्कशीट पीड़ित के पिता (पीडब्लू–2) से सेवानिवृत्त पुलिस उप–अधीक्षक डी.एस. दीवान (पीडब्लू–13) द्वारा ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/–7) के माध्यम से ज़ब्त की गई थी। मूल मार्कशीट की ज़ब्ती के बाद, उसकी एक्स–रॉक्स प्रति (एक्स पी/–9 सी) प्राप्त करके उसे वापस कर दिया गया था, जिसे उपरोक्त साक्षीयों ने प्रमाणित किया है।कक्षा 10 वीं की नाबालिग पीड़िता की मार्कशीट में भी उसकी जन्मतिथि 07.02.2002 बताई गई है, जैसा कि दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स पी/–11 सी) में दर्ज है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. नाबालिग/किशोर की आयु निर्धारित करने का तरीका और प्रक्रिया किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद, किशोर न्याय अधिनियम, 2015) की धारा 94 (2) में निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:–––

"94. आयु का अनुमान तथा निर्धारण –

(1) XXX XXX XXX

(2) यदि समिति या बोर्ड को इस संबंध में संदेह करने का कोई उचित कारण हो कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके लिए वह निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करेगा:

(i) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और यदि उपलब्ध न हो;

(ii) निगम, नगर निगम या पंचायत द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में ही, आयु का निर्धारण अस्थि–निर्माण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेशानुसार किए गए किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा: परंतु कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित आयु निर्धारण परीक्षण ऐसे आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।"

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओमप्रकाश बनाम भारत संघ राज्य 5 और रजनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 6 के मामलों में उपरोक्त प्रावधान पर यह अभिनिर्धारित किया है कि नाबालिग की आयु का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार किया जाना चाहिए, जो किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 का पुनरावलोकन है, जिसमें किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा और क्रम निर्धारित किया गया है, अर्थात् विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और इनके अभाव में, निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।और केवल उपरोक्त दस्तावेज़ के अनुपलब्ध होने पर ही आयु का निर्धारण अस्थि–निर्माण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेशानुसार किए गए किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस मामले में, यद्यपि पीड़िता के प्राथमिक विद्यालय का दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स पी/ –11 सी) सिद्ध हो चुका है, लेकिन इसके अलावा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर द्वारा जारी की गई उसकी हाई स्कूल परीक्षा, 2017 {कक्षा X (एक्स पी/–9 सी)} की मार्कशीट भी अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त और सिद्ध की गई है।

15.जेजे अधिनियम, 2018 की धारा 94 (2)(i) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र को संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सिद्ध किया जा सकता है।इस संबंध में, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर द्वारा जारी पीड़िता की कक्षा 10 की मार्कशीट (एक्स पी/–9 सी) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और सिद्ध की गई है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 07.02.2002 अंकित है। इस मार्कशीट के आधार पर पीड़िता को घटना की तिथि, अर्थात् 02.01.2019 को नाबालिग माना जा सकता है। उपरोक्त जन्म तिथि, अर्थात् 07.02.2002 के अनुसार, घटना की तिथि को उसकी आयु 16 वर्ष, 10 महीने और 26 दिन थी। अतः, विशेष न्यायालय द्वारा पीड़िता को घटना की तिथि को नाबालिग मानने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

16.पीड़िता के यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में,पीड़िता (पीडब्लू–1) ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन, शाम लगभग 4:30 बजे जब वह स्कूल में थी, तब आरोपी ने उससे कहा, "मैं तुमसे प्यार करता हूँ" और उसका मोबाइल नंबर मांगा।उसने आगे बताया कि जब उसने कहा कि वह मैडम को सूचित करती है, तो आरोपी वहाँ से चला गया। उस समय उसने शराब भी पी रखी थी।उसने आगे बयान दिया कि घर पहुँचने के बाद उसने घटना के बारे में अपनी माँ को बताया और अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसने तारकेश्वरी

मैडम (शिक्षिका) को घटना के बारे में बताया।उसने आगे कहा कि अगले दिन, चूंकि स्कूल की प्रधानाचार्य छुट्टी पर थीं, इसलिए उसने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पूछे गए प्रश्न में पीड़िता ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने उससे यह भी कहा था कि "वह केवल उसे देखने के लिए स्कूल आया था"।उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता उसे गंदी नज़रों से देख रहा था

17.पीडब्लू 2 जो पीड़ित के पिता हैं और पीडब्लू 3 जो पीड़ित की माता हैं, ने भी पीड़ित के इस बयान का समर्थन किया है कि घटना वाले दिन शाम को घर आने के बाद पीड़ित ने उन्हें घटना के बारे में बताया था। कुमारी वर्षा (पीडब्ल्यू–6), निधि साहू (पीडब्ल्यू–8) और हेम कुमारी (पीडब्ल्यू–9) पीड़ित की सहेलियाँ और सहपाठी हैं, जिन्होंने पीड़ित के बयान की पुष्टि की है, लेकिन वे भी प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्हें पीड़ित ने कुछ दिनों बाद घटना के बारे में बताया था।अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किया गया अन्य साक्षीयों औपचारिक साक्षीयों हैं।इस प्रकार, इस मामले में एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता है, जबकि उसके माता–पिता और उसके मित्र सुनी–सुनाई बातों पर आधारित साक्षी हैं।अतः, अभियोजन पक्ष के मामले के आलोक में पीड़िता के बयान की गहन जांच करना आवश्यक है ताकि यह देखा जा सके कि क्या अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल पीड़िता के बयान के आधार पर ही उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.पीड़िता द्वारा विभिन्न समयों पर दिए गए बयानों की जाँच करने पर यह पाया गया कि पीड़िता के बयान, उसके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान और धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान तथा कोरबा जिला स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष दर्ज बयान में कई विसंगतियाँ हैं।न्यायालय के समक्ष दर्ज बयान में पीड़िता (पीडब्लू–1) ने कहा है कि उसने घटना के अगले दिन तारकेश्वरी मैडम को घटना की सूचना दी थी, जबकि एफआईआर (एक्स पी/–1), धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान (एक्स पी/–4) और धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान में भी उसने कहा है कि उसने उसी दिन तारकेश्वरी मैडम को घटना की सूचना दी थी। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय अपीलकर्ता ने शराब का सेवन किया था, लेकिन इस तथ्य का खुलासा उसने एफआईआर या धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों के साथ–साथ धारा 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस बयान में भी नहीं किया था।हालाँकि, यह तथ्य उसने 14.01.2019 को कोरबा की बाल कल्याण समिति के समक्ष दर्ज अपने बयान में कहा था। आरोपपत्र के साथ संलग्न वह बयान कोरबा जिले के अनुसूचित जाति कल्याण स्थित थाना अधिकारी द्वारा भी सत्यापित है, लेकिन इस बयान में उसने आगे कहा था कि अपीलकर्ता ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, जिसके बाद उसने उसे झटक कर अपने घर की ओर भाग गई। उसने आगे कहा है कि उसी दिन शाम लगभग 6 बजे उसने अपनी सहेली निधि (शिकायतकर्ता–8) को इस घटना के बारे में बताया था, लेकिन उपरोक्त तथ्य का उल्लेख उसने न तो एफआईआर में किया है, न ही धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में, और न ही अपने बयान में।

19.पीड़िता (पीडब्लू–1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 9 और 10 में कहा है कि कथित घटना प्रार्थना कक्ष में घटी थी, उस समय वह प्रार्थना कक्ष में अकेली थी।जब बचाव पक्ष के वकील ने उससे पूछा कि वह प्रार्थना कक्ष में अकेली क्या कर रही थी, तो उसने बताया कि वह अपीलकर्ता से पूछने गई थी, क्योंकि वह प्रार्थना कक्ष में खड़ा था।इस प्रकार, यह कहना कि अपीलकर्ता पीड़िता के पास गया या पीड़िता स्वयं अपीलकर्ता के पास गई, दोनों बातें विरोधाभासी हैं।पीड़िता और उसके सहपाठियों के बयान के अनुसार, उस स्कूल में 500–600 से अधिक छात्र पढ़ते थे और स्कूल की छुट्टी होने पर, जब चपरासी घंटी बजाता था, तो शिक्षक पहले कक्षा से बाहर निकलते थे, उसके बाद छात्र निकलते थे और वे अंतिम प्रार्थना के लिए प्रार्थना कक्ष में जाते थे।जब छात्रों की संख्या इतनी अधिक है और कथित घटना प्रार्थना कक्ष में घटी बताई जा रही है, तो यह कैसे संभव है कि पीड़िता या अपीलकर्ता कथित घटना के समय अकेले खड़ी हो? जबकि पीड़िता की मां (पीडब्ल्यू–3) ने अपनी जिरह में कहा है कि कथित घटना तब घटी जब पीड़िता अपनी कक्षा से बाहर आने के बाद वॉशरूम जा रही थी।

20. जब कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली किसी छात्रा (पीड़िता) के साथ ऐसी घटना घटती है, तो वह आमतौर पर उसी दिन अपने सहपाठियों/दोस्तों को घटना की जानकारी दे देती है। लेकिन पीड़िता ने स्वयं अपनी जिरह के अनुच्छेद 13 में स्वीकार किया है कि उसने हेम कुमारी, निधि और वर्षा को घटना की जानकारी नहीं दी थी, बल्कि घटना के एक दिन बाद दी थी। हालांकि, यह तथ्य भी उसके दोस्तों के पुलिस बयानों से पुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके उपरोक्त दोस्तों के पुलिस बयानों के अनुसार, पीड़िता ने हेम कुमारी (पीडब्लू–9) को 3 जनवरी 2019 को, कुमारी वर्षा (पीडब्लू–6) को 7 जनवरी 2019 को और कुमारी निधि साहू (पीडब्लू–8) को 4 जनवरी 2019 को घटना की जानकारी दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी प्रिंसिपल मैडम को दी गई कथित व्हाट्सएप मैसेज को अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त नहीं किया गया है और न ही साबित किया गया है।एक ओर, पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि घटना के अगले दिन प्रिंसिपल मैडम छुट्टी पर थीं, इसलिए उसने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से घटना की जानकारी दी थी, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 11 में उसने कहा है कि घटना के अगले दिन यानी 3 जनवरी 2019 को प्रिंसिपल मैडम स्कूल आई थीं, जबकि उसके पिता (पीडब्लू–2) ने कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल मैडम से मोबाइल फोन पर बात की थी, फिर उन्होंने 7 जनवरी 2019 को उन्हें फोन किया था, उस दिन वह स्कूल गए और प्रिंसिपल मैडम से मिले।इस साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के अगले दिन वह स्कूल गए और तारकेश्वरी मैडम से मिले थे।इस प्रकार, घटना दिनांक से कितने दिनों के पश्चात् , प्रिंसिपल मैडम स्कूल आई थीं तथा पीड़ित तथा उसके पिता ने प्रिंसिपल से मुलाकात की थी, यह भी पीड़ित तथा उसके पिता के न्यायालयीन कथन से विरोधाभासी है।वर्तमान मामले में, तारकेश्वरी मैडम तथा स्कूल की प्रिंसिपल भौतिक साक्षीयों हैं, परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा उनमें से किसी की भी जांच नहीं की गई है।

22. गणेशन बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए यह माना है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में, केवल

पीड़िता की गवाही के आधार पर, यदि वह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो न्यायालय बिना किसी पुष्टि के आरोपी को दोषी ठहरा सकता है।

23. निर्मला प्रेम कुमार और अन्य बनाम राज्य (पुलिस द्वारा प्रतिनिधित्व) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने उपरोक्त कथन को दोहराते हुए कंडिका 15 में निम्नलिखित कहा है:---

"15. उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन मामलों में गवाह न तो पूरी तरह विश्वसनीय हों और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय, न्यायालय को घटना के वास्तविक स्रोत का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए।न्यायालय पीड़ित को बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के एक विश्वसनीय साक्षी के रूप में मान सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता असाधारण रूप से उच्च होनी चाहिए।अभियोक्ता का बयान शुरू से अंत तक (मामूली विसंगतियों को छोड़कर) सुसंगत होना चाहिए, प्रारंभिक बयान से लेकर मौखिक कथन तक, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में कोई संदेह उत्पन्न न हो।"हालांकि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता के कथन आमतौर पर पर्याप्त होती है, लेकिन अभियोक्ता का अविश्वसनीय और अपर्याप्त बयान, जिसमें स्पष्ट खामियां और कमियां हों, दोष सिद्ध करना मुश्किल बना सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में दिए गए विधि के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से यह स्पष्ट है कि पीड़िता के बयान, एफआईआर (एक्स.पी–1), धारा 164 सीआरपीसी/161 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयान और कोरबा बाल कल्याण समिति द्वारा दर्ज उसके बयान में महत्वपूर्ण विसंगतियां और विरोधाभास/कमियां हैं।अभिकथित घटना स्कूल की कक्षाएं समाप्त होने के बाद, वह भी शाम की नमाज से पहले घटी, जब सभी छात्र और शिक्षक प्रार्थना कक्ष में एकत्रित थे, जहां कथित घटना घटी। इसलिए यह असंभव प्रतीत होता है कि पीड़िता कथित घटना के समय प्रार्थना कक्ष में अकेली थी, जबकि उसकी मां के अनुसार, घटना के समय पीड़िता कक्षा से बाहर आने के बाद शौचालय जा रही थी।पीड़िता ने उसी दिन अपने दोस्तों/सहपाठियों को घटना के बारे में नहीं बताया और उसने उन्हें कब सूचित किया, यह भी विरोधाभासी है।यहां तक कि घटना की जानकारी उसने विद्यालय की शिक्षिका तारकेश्वरी को कब दी, यह भी उसके अपने बयान, एफआईआर और अन्य कथनों से विरोधाभासी है। इसके अलावा, तारकेश्वरी और विद्यालय के प्रधानाचार्य से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।25. अपने तर्क पेश करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि पीड़िता और उसके दोस्त शेख सलामुद्दीन कक्षा 11 में फेल हो गए थे और वे दोनों फिर से उसी कक्षा में पढ़ रहे थे, और उन्हें घूमते हुए देखकर, अपीलकर्ता ने उन्हें समझाया कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि वे कक्षा 11 में फेल हो चुके हैं। इसलिए, पीड़िता द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि पीड़िता ने इस सुझाव से इनकार किया है, लेकिन संभावनाओं में उपरोक्त विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, इस सुझाव की सत्यता को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है।

26. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह पाया गया है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं पाई गई है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं, इसके बावजूद कि विद्वान विशेष न्यायालय ने उसे कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया है, जो पूरी तरह से गलत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। इसलिए, आईपीसी की धारा 354 (ए) और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 12 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अस्थिर होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

27. पीड़िता अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है, जो उसके और उसके पिता (पीडब्लू–2) के बयान से सिद्ध होता है, जिसका समर्थन उसके जाति प्रमाण पत्र (एक्स पी/ –8 सी) से होता है, जिसे राजेश कुमार सोनी (पीडब्लू–11) ने भी प्रमाणित किया है, जो अभानपुर के उप–मंडल अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड-II हैं, जहां से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया था।लेकिन अपीलकर्ता उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, बल्कि वह ओबीसी श्रेणी से संबंधित है।चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू) और 3(2)(वी) के तहत दोषी ठहराना भी उचित नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोप को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इस प्रकार, अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न तो पर्याप्त हैं और न ही विश्वसनीय, इसके बावजूद कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के ऐसे अविश्वसनीय, अपर्याप्त और अविश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया है, इसलिए यह अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

29. अतः, यह न्यायालय इस मामले को आईपीसी की धारा 354 (ए) तथा पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 12 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1)(डब्ल्यू) और 3(2)(वी) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अनुपयुक्त मानता है। अतः, उपरोक्त कारणों से, पीओसीएसओ अधिनियम के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.03.2022 को पारित दोषसिद्धि और दंड का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तदनुसार अपास्त दिया जाता है तथा अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

30. अपीलकर्ता जमानत पर है, बीएनएसएस, 2023 की धारा 481 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर उसकी जमानत बांड अगले छह महीने तक लागू रहेगी।

31. इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत वापस भेज दी जाए।

सही/–

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur